99

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 2284–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–6–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक अपील 218/अ–27/15–16.

शिखरचंद पिता हुकमचंद जैन,
निवासी ग्राम अभाना तहसील
व जिला दमोह म0प्र0 ——— आवेदक

विरुद्ध

लक्ष्मीचंद पिता हुकमचंद जैन
निवासी ग्राम अभाना तहसील
व जिला दमोह म0प्र0 ——— अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पटेरिया ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र पटेल ।

.....

आदेश

(आज दिनांक 8– 9–2016 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 218/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 7–6–16 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 21 पर दिनांक 15–1–13 को मौजा अभाना स्थित प्रश्नाधीन भूमियों का खाता पृथक दर्ज करने की कार्यवाही हेतु राजस्व निरीक्षक को पेश किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा दोनों सहखातेदारों को नायब तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए जिस पर से नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर उभयपक्षों को तलब किया गया । प्रकरण में अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत बटवारे के लिए आवेदन पेश किया गया जिसमें कहा गया कि दिनांक 19–3–1990 के बटवारे के अनुसार

राजस्व अभिलेख बराबर–बराबर बटवारा किया जाये । उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16–3–15 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा स्वीकार कियाा गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपीलें कमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों कें आदेश विधि विरूद्ध हैं क्योंकि उन्हें 1/2 हक पर बटवारा करने का अधिकार है जबकि तहसीलदार ने अपने आदेश द्वारा हक का विनिश्चय कर दिया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा किया है । आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष 1/2 हक में बंटवारा करने की सहमति दी थी ऐसी स्थिति में उनके द्वारा 2/3 हक में बंटवारा करना अवैधानिक है ।

यह तर्क दिया गया कि अन्य ग्रामों की भूमि को आधार बनाकर बटवारा करने के आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है । उक्त आधार पर केवल सिविल न्यायालय को है । अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि प्रकरण में संहिता की धारा 178 का पालन किया गया है । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि अनावेदक द्वारा पूर्व में भी तहसीलदार के समक्ष बटवारे बावद प्र0क0 6/अ–27 पेश किया था जो आदेश दिनांक 19–7–2006 द्वारा निरस्त किय कर दिया गया है और उसे कोई चुनोती अनावेदक द्वारा किसी न्यायालय में नहीं दी गई है और उक्त आदेश अंतिम हो गया है । इस कारण आलोचय आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण बटवारे का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि उभयपक्ष के पिता द्वारा दिनांक 10–3–1990 को एक फेहरिस्त बटवारा स्टाम्प पेपर पर लिखाया गया था जिस पर कई गवाहों के हस्ताक्षर हैं । आवेदक द्वारा केवल मौजा अभाना की भूमियों के बटवारे में कम भूमि मिलने की बात कही जा रही है और उसके द्वारा अन्य ग्रामों की भूमियों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांतरण पंजी कमांक 21 पर दिनांक 15–1–13 को पटवारी द्वारा

बटवारा पेश किया गया था जिसमें आवेदक को 5.68 हैक्टर एवं अनावेदक को 10.24 हैक्टर भूमि के खाता पृथक–2 करने हेतु उभयपक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं जिससे यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि दोनों पक्ष बटवारे से सहमत थे । उक्त कारण से उन्होंने नायब तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश एवं उसकी पुष्टि करने संबंधी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए आवेदक की अपील को निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय. के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों के संबंध में समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर